Title: Need to mandatorily take the recommendations of the Local Area Member of Parliament for sanctioning old age pension. – Laid.

श्री राम स्वरूप कोली (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, 60 र्वा से ऊपर वाले ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, जिनका भरण-पोाण करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो। देखने में आया है कि कुछ मामलों में 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लड़के अथवा लड़कियां उनका पालन-पोाण करने से साफ इन्कार कर देते हैं।

ऐसे वृद्ध जीवित ही मृत के समान हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पेंशन के समय यह जांच करायी जाए कि क्या पेंशन चाहने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा संबंधी है, जिससे उसे आर्थिक सहायता अथवा दो वक्त का भोजन और कपड़ा मिल रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को पेंशन मिलनी चाहिए।

दूसरी ओर देखने में आया है कि वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए लोग सरकारी कर्मचारियों से झूठी सिफारिश/जांच लिखवा देते हैं कि उनको भोजन व कपड़ा देने के लिए कोई पुत्र-पुत्री आदि नहीं है और इस प्रकार वह पेंशन पाने में सफल हो जाते हैं।

मेरा निवेदन है कि वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए स्थानीय सांसद की सिफारिश आवश्यक रूप से प्राप्त की जाए, तभी पेंशन स्वीकृत की जाए क्योंकि उसे अपने क्षेत्र के व्यक्तियों की स्थिति का सही ज्ञान होता है।